तारीख हुक्म	
	13/10/25 पत्रावली पेश। पत्रावली का गहन अवलोकन व मनन किया गया। बाद गौर पत्रावली मे हाजा न्यायालय के द्वारा दि. 17/01/14 को दावा वादी डिक्री किया गया। जिसकी अपील माननीय न्यायालय RAA सा. अलवर के समक्ष की गई श्रीमान RAA सा. अलवर ने दि. 10/02/16 को SDO कोर्ट निर्णय को खारीज कर दिया गया। इसके उपरान्त प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज. अजमेर मे अपील दायर की गई। जिसको मा. न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने दि. 11/01/2024 को RAA सा. अलवर के आदेश दि. 10/02/2016 को निरस्त करते हुए हाजा न्यायालय के आदेश दि 17/01/2014 को यथावत रखा गया। माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय 11/01/2024 के बाद इजराय दर्ज की गई। TDR से रिपोर्ट प्राप्त की गई। TDR टहला की रिपोर्ट दि. 6/02/2024 मे TDR द्वारा पद अवगत कराया गया

नम्बर
अहकाम
हुक्म

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

की उक्त भूमी इजराय कर्ता के नाम दर्ज की जाती है तो राजहित प्रभावित होगा। क्योंकि वर्तमान मे भूमि चारागाह दर्ज रिकार्ड है। इसके बाद TDR रहला द्वारा इसकी अपील माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय मे दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय मे वाद विचाराधीन होने के कारण इजराय पालना किया जाना सम्भव नही है। इसलिए इजराय पालना कि कार्यवाही ड्रोप की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेखा भण्डार हो। SDO	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।